

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 08, बुधवार, शके 1947- जनवरी 28, 2026 Magha 08, Wednesday, Saka 1947- January 28, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

नगरीय विकास विभाग

संशोधित अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 06, 2026

संख्या प.10(179)नविवि/3/2009 :-राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 10(179)नविवि/3/2009 जयपुर दिनांक 13.01.2010 एवं समसंख्यक संशोधित अधिसूचना दिनांक 11.03.2011 व 12.04.2012 द्वारा कुल 18 राजस्व ग्राम लालसोट के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाकर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना क्रमांक: 10(179)नविवि/3/2010 दिनांक 31.05.2012 द्वारा अधिसूचित लालसोट के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान-2031 का अनुमोदन किया गया था। साथ ही विभागीय अधिसूचना दिनांक 10.01.2022 द्वारा राजस्व ग्राम सलेमाबाद को सम्मिलित किया गया, जिससे कुल 19 राजस्व ग्राम लालसोट के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित किये गये हैं।

लालसोट के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 19 राजस्व ग्रामों के अतिरिक्त निम्न 11 नवीन राजस्व ग्रामों को लालसोट के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र क्षितिज वर्ष 2031 तक लागू मास्टर प्लान में जोड़ा जाता है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)
20	लाडपुरा	LADPURA
21	भगवतपुरा	BHAGWATPURA
22	लालपुरा	LALPURA
23	बिहारीपुरा	BIHARIPURA
24	मिर्जापुर	MIRZAPURA
25	सालगरामपुरा चक नं. 01	SALAGRAMPURA CHAK NO. 01
26	नांगल उर्फ अभयपुरा	NANGAL / ABHAYPURA
27	चकरोड़ा	CHAKRODA

28	पिताम्बरभारती	PITAMBERBHARTI
29	चकचांदसेन	CHAK CHANSEN
30.	बाढतातारसिंहचक नं.-2	BADHTATARSINGHCHAK NO.-2

राज्यपाल की आज्ञा से,

रवि विजय,

शासन उप सचिव-प्रथम।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।